

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग-3)



जयपुर, दिनांक

20 DEC 2022

क्रमांक: एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./राजकाज-0057/2013/40/6  
जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त राजस्थान (झुंझुनु, सीकर, उदयपुर, झालावाड एवं चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त)।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Good Governance के तहत की गई पहल पर कार्यवाही के संबंध में।


संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.12.2017, 10.04.2018, 19.02.2020, 03.02.2022 एवं 23.11.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Good Governance के तहत की गई पहल पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण जांच के दौरान पाया गया है कि Good Governance के तहत शामिल निम्न बिन्दुओं की पालना सुचारु रूप से नहीं की जा रही है :-

1. प्रत्येक कार्य स्थल पर स्थायी "नागरिक सूचना बोर्ड" लगाना,
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 7 mandatory रजिस्टर का संधारण करना,
3. प्रत्येक कार्य स्थल पर तथा ग्राम पंचायत में कार्य की पत्रावली का संधारण,
4. नए जॉब कार्ड जारी करना तथा इनका नवीनीकरण, अद्यतन तथा सत्यापन करना,


संदर्भित पत्रों द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुसार उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही कर प्रत्येक कार्य स्थल पर स्थायी नागरिक सूचना बोर्ड तथा जॉब कार्ड सत्यापन व अद्यतन की सुनिश्चितता के संबंध में जिला स्तर से इकजाई प्रमाण पत्र भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आदिनांक तक केवल 5 जिलों (झुंझुनु, सीकर, उदयपुर, झालावाड एवं चित्तौड़गढ़) से ही उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। अतः Good Governance से संबंधित बिन्दुओं की पालना हेतु एक अभियान चलाया जाकर कलेण्डर वर्ष 2022 की समाप्ति तक सभी वर्णित बिन्दुओं की पालना कर जिला स्तर से इकजाई प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
(शिवांगी स्वर्णकार)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

  
परिनिदेश एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

218

कार्यालय जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा

जिला.....

प्रमाणित किया जाता है कि जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप निम्न कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है :-

1. प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थायी "नागरिक सूचना बोर्ड" लगाना;
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 7 मैनेजिटरी रजिस्टर का संधारण करना,
3. प्रत्येक कार्यस्थल पर तथा ग्राम पंचायत में कार्य की पत्रावली का संधारण,
4. नये जॉबकार्ड जारी करना तथा इनका नवीनीकरण, अद्यतन तथा सत्यापन करना,
5. ग्राम पंचायतवार लेखा नियमों के अनुरूप रिकॉर्ड का संधारण

दिनांक .....

जिला कलेक्टर सह जिला  
कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा  
गांधी नरेगा

जिला.....